



डॉ० सीमा रानी

स्वतंत्रता की संकल्पना

असिस्टेंट प्रोफेसर— राजनीति विज्ञान विभाग, बी०डी०एम०न्यू० कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ०प्र०) भारत

Received-25.01.2023, Revised-30.01.2023, Accepted-04.02.2023 E-mail: seemadrseema101@gmail.com

सांशः 'स्वतंत्रता' एक ऐसा शब्द है, जो स्वयं में पूरी दुनिया को समेटे हुए है। मनुष्य अस्तित्व का संघर्ष वास्तव में स्वतंत्रता के लिए किये जाना वाला संघर्ष ही है, न जाने कितनी क्रांतियों बलिदानों व संघर्षों का मूल स्वतंत्रता की भावना ही है। राजनीति में एक सिद्धान्त के रूप में स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। राजनतिक विज्ञान हो या इसका दार्शनिक पक्ष दोनों ने ही स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है।

कुंजीशब्द— स्वतंत्रता, अस्तित्व, संघर्ष, बलिदानों, राजनीति, संकल्पना, दार्शनिक पक्ष, समझौतावादी, उदात्तावादी।

यदि हम पाश्चात्य या भारतीय दर्शन की उससे जुड़े वैचारिक चिन्तकों की बात करें, तो यह स्पष्ट होता है कि 'स्वतंत्रता' की धारणा प्रत्येक में चिंतन का केन्द्र बिंदु रही। कतिपय मुख्य दार्शनिकों का विवरण उदाहरण के रूप में यहाँ में देना चाहूँगी। जैसे— पाश्चात्य राजनीति विचारकों में प्लेटो को एक महान दार्शनिक माना जाता है, प्लेटो ने अपने दर्शन में स्त्री-पुरुष की समान स्वतंत्रता का समर्थन किया है। यद्यपि प्लेटो के समस्त चिंतन का केन्द्र बिन्दु आदर्श राज्य की स्थापना था, परन्तु निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि, उसने स्त्री पुरुष स्वतंत्रता समानता का समर्थन किया। इसके विपरीत प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने दासता को भी प्राकृतिक माना और यह भी उचित माना कि स्त्री पुरुष अधीन रहे, अरस्तू प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक तो थे, परन्तु स्वतंत्रता के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण विस्तृत या उदार नहीं था।

स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार हमें समझौतावादी विचारकों से भी मिलते हैं। उन्होंने अपने राज्य उत्पत्ति के सिद्धान्त का आरंभ मानव स्वभाव उसके विश्लेषण से किया। इसमें यदि थोमस हॉब्स के चिन्तन की बात करें, तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यह माना कि मूल रूप से व्यक्ति का स्वभाव स्वार्थी आत्मकेन्द्रित होता है। व्यक्ति का अपना संसार होता है। वह अपने पसंद की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है और उन स्थितियों व्यक्तियों परिस्थितियों से बचने का प्रयास करता है, जिन्हें वह नापसंद करता है हॉब्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवित रहना मनुष्य के लिये सबसे अधिक आवश्यक है, स्वतंत्रता उसके पश्चात् है जीवन और स्वतंत्रता में से यदि चुनाव करना हो तो जीवन का करना चाहिए। हॉब्स के अग्रणी विचारक जॉन लॉक ने एक उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए स्वतंत्रता को एक प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया। लॉक ने स्वतंत्रता को एक ऐसा प्राकृतिक अधिकार माना जो प्राकृतिक नियमों पर तो आधारित है, परन्तु राज्य या समाज के किसी कानून पर नहीं प्राकृतिक नियम से उसका आशय विवेक की उस स्थिति से था, जिसमें प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था, जैसाकि वह दूसरों से अपने लिए चाहता था। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता थी। लॉक ने एक ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का क्षरण न हो।

स्वतंत्रता के संदर्भ में वैचारिक रूप से रूसो लॉक से भी अधिक कांतिकारी नजर आता है जब वो यह कहता है कि "व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, परन्तु वह सर्वत्र जंजीरों में है" रूसो की स्वतंत्रता मनुष्य की ऐसी स्वतंत्रता थी, जिसमें व्यक्ति में आरंभ में किसी प्रकार का भय नहीं था, वह अपनी आवश्यकतानुसार व इच्छानुसार जीवन व्यतीत करता था।

यदि पारिभाषिक रूप से देखे तो यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में Liberty कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति 'Liber' नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है—मुक्ति या बंधनों का न होना। मुक्ति अथवा बंधनों में अभाव में इस अर्थ ने स्वतंत्रता के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को जन्म दिया।

प्रथम—नकारात्मक संकल्पना— जिसका तात्पर्य है, मनुष्य पर किसी प्रकार के बंधन का न होना, व्यक्तिवादियों जैसे एडम स्मिथ, स्पेंसर, जे०एस० मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। जे०एस० मिल ने स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना का पूर्ण समर्थन किया है। उनकी पुस्तक 'स्वतंत्रता पर निबन्ध' (Essay on Liberty) की तुलना कभी—कभी मिल्टन की सुप्रसिद्ध कृति 'एरियोजेजिटिका' से की जाती है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता के दो पक्षों की बात करते हैं प्रथम—स्वयं से सम्बन्धित कार्य और द्वितीय मनुष्य द्वारा किये जाने वाले, वे कार्य जिनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। मिल ने यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से सम्बन्धित कार्यों को करने का पूर्ण अधिकार है, उसे निर्बाध विचार और भाषण की स्वतंत्रता है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति अपना आत्मविकास नहीं कर सकता है। उसका यह महत्वपूर्ण कथन कि "यदि एक व्यक्ति के विरुद्ध सम्पूर्ण मानव जाति का एक ही मत हो जायें तब भी मानव जाति को उसे जबर्दस्ती चुप कराने का उसी प्रकार अधिकार नहीं है, जिस प्रकार यदि उसके पास शक्ति होती, तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता।" मिल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ—साथ व्यक्ति के कार्य करने की स्वतंत्रता



भी महत्वपूर्ण मानता है। उसने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वाभाविक परिणति माना। परन्तु यह स्वतंत्रता सापेक्ष है। व्यक्ति के जिन कार्यों का प्रभाव दूसरों पर नकारात्मक पड़ता है, तो उस पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, नियंत्रण लगाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति घर पर बैठकर बिना किसी को परेशान किए मदिरापान करता है, तो उचित है परन्तु वह शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर अव्यवस्था उत्पन्न करता है, तो इसे रोका जा सकता है। मिल की स्वतंत्रता की यह धारणा बौद्धिक वर्ग को पूर्णतः सन्तुष्ट न कर सकी यही कारण है कि बार्कर ने मिल को 'खोखली स्वतंत्रता' का प्रवर्तक कहा। बार्कर ने स्वतंत्रता की अपनी अवधारण को स्पष्ट करते हुए यह कहा कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना, खूबसूरती नहीं है उसी प्रकार बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है।

वास्तविक स्वतंत्रता के अर्थ को सकारात्मक रूप में लिया गया, जिसके दो अर्थ हैं प्रथम, तो व्यक्ति अपने अधिकारों और अपनी कार्यक्षमता का इस प्रकार प्रयोग करें, कि इससे सामाजिक नियमों, राज्य के कानूनों व अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। लॉस्की ने स्वतंत्रता को वह वातावरण माना, जिसमें व्यक्ति को अपने सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, इसी से सकारात्मक स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ यह भी निकलता है, कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में सक्षम नहीं है और उसके समक्ष विविध सामाजिक आर्थिक शैक्षिक बाधाएं हैं, तो राज्य इन बाधाओं को दूर करने का कार्य कर सकता है। यही कारण है कि महान दार्शनिक ग्रीन ने राज्य का प्रमुख कार्य भी 'बाधाओं को बाधित' करना बताया है, जो व्यक्ति के स्वतंत्र जीवन के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यह माना है कि "स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है।"

स्वतंत्रता के इन नाकारात्मक सकारात्मक अर्थों को आधुनिक विचारकों द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, उदाहरण स्वरूप प्रमुख विचारक ई बर्लिन अपनी पुस्तक 'Two Concepts of Liberty' (1958) में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि राज्य व्यक्ति को मात्र नकारात्मक स्वतंत्रता उपलब्ध करा सकता है। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति की उन गतिविधियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाये, जिनका निर्धारण वह स्वयं करता है।

बर्लिन ने यह भी माना कि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ की भाँति आकाश में उड़ नहीं सकता मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं सकता तो यह उसकी विवशता है, स्वतंत्रता का अभाव नहीं यदि व्यक्ति अत्याधुनिक संसाधनों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, तो यह उसका उत्तरदायित्व है, स्वतंत्रता का अभाव इसे नहीं कहा जा सकता, क्षमताएं, अक्षमताएं वैयक्तिक होती हैं और राज्य को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बर्लिन की स्वतंत्रता की इस धारणा को सी0बी0 मैक्सवेल जैसे विचारक 'जड़ और यांत्रिक' संकल्पना की संज्ञा देता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति विवशता के लिए स्वयं उत्तरदायी ठहराया जाता है।

बर्लिन की भाँति ही प्रमुख राजनीति विचारक एफ0ए0 हेयक ने भी स्वतंत्रता की नकारात्मक संकल्पना को महत्व प्रदान किया। हेयक ने अपनी महत्वपूर्ण कृति 'द कांस्टीट्यूशन ऑफ लिबर्टी' (स्वतंत्रता का संविधान) में स्पष्ट रूप से यह माना कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे मनुष्य की निरंकुश इच्छा से बाध्य न हो, हेयक इसे 'वैयक्तिक स्वतंत्रता' की संज्ञा देता है और इसे राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता व शक्तिरूपी स्वतंत्रता से पृथक् करता है। नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता के अतिरिक्त राजनीतिक चिन्तन में स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों की बात कही गयी है जैसे—

1. प्राकृतिक स्वतंत्रता— प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस संकल्पना में माना जाता है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की प्रकृति में निहित है। लॉक जैसे उदारवादी विचारक ने तो स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार माना है। जो राज्य कानून से पूर्व विद्यमान था, रूसों ने भी यह घोषणा की "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परन्तु वह सर्वत्र जंजीरों में है।" इन जंजीरों से रूसों का तात्पर्य उन सामाजिक बंधनों व विशताओं से था जो शनैः शनैः विकास के दौरान सामने आयी।

2. नागरिक स्वतंत्रता— नागरिक स्वतंत्रता का आशय राज्य के कानून नियमों के अन्तर्गत कार्य करने से है। स्वतंत्रता का यह स्वरूप विस्तृत है, पर निर्बाध नहीं।

3. वैयक्तिक स्वतंत्रता— वैयक्तिक स्वतंत्रता व्यक्ति की वह स्वतंत्रता है, जिसका उपभोग वह स्वयं अपने निर्णयों के आधार पर करता है एक व्यक्ति किस प्रकार की वेश-भूषा धारण करे, भोजन करे, विवाह करे, बच्चों को शिक्षा दिलाये, रीति-रिवाजों का पालन करे, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे। स्वतंत्रता का यह स्वतंत्र भी निर्बाध नहीं हो सकता।

4. राजनीतिक स्वतंत्रता— लीकॉक के अनुसार, "राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। सरकार बनाने का अर्थ है — सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर चुनाव में स्वतंत्रतापूर्वक हिस्सा लेना, मुक्त और निरंतर विचार-विमर्श, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र सरकार चुनने तक सीमित नहीं है, यह सरकार का भाग अंग होने की स्वतंत्रता को भी स्वयं में समाहित किये है। राजनीतिक



स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही देखने को मिलती है।

5. आर्थिक स्वतंत्रता- आर्थिक स्वतंत्रता से लॉस्की का अभिप्राय है कि "प्रत्येक प्राणी को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो।" व्यक्ति अपनी राजनैतिक व अन्य स्वतंत्रताओं का समुचित उपभोग करे। इसके लिये यह आवश्यक है कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति की आर्थिक विवशताओं को अनुपस्थिति की मांग करती है।

6. राष्ट्रीय स्वतंत्रता- भारत के केन्द्रीय सचिवालय पर लिखा है "स्वतंत्रता लोगों के पास उतर कर स्वयं नहीं आती है, बल्कि इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं उठना पड़ता है। स्वतंत्रता एक परम सुख है, जिसका आनन्द उठाने के लिए उसे कमाना पड़ता है।" एक राष्ट्र के लिए उसकी स्वतंत्रता प्राण समान है, जिसके अभाव में वह विकास नहीं कर सकता। प्रत्येक देश चाहे वह छोटा हो या बड़ा यह प्रयास करता है कि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, उदाहरण स्वरूप भारत ने भी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय बलिदान किए।

स्वतंत्रता के अन्य प्रकार भी समाज की प्रगति के साथ-साथ हमारे सामने आ रहे हैं। वर्तमान परिवेश में इसका आध्यात्मिक पक्ष भी हमारे समक्ष आता है जैसे कि 'भावनात्मक स्वतंत्रता' एक व्यक्ति साधन संपन्न होने पर समस्त अधिकारों से युक्त होने पर भी यदि मानसिक रूप से अथवा भावनात्मक रूप से दूसरों पर सदैव निर्भर रहता है, तो व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं है। उसके निर्णय स्वतंत्र नहीं होंगे।

अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति मानसिक रूप से भावनात्मक रूप से भी स्वतंत्र हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय सदैव दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखा जाये। उसकी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा ना डालें अथवा उसकी स्वतंत्रता स्वच्छदता में परिवर्तित न हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, आर0सी0, "राजनीति शास्त्र का परिचय" छटा संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण : 1984 एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0।
2. गाबा, ओम् प्रकाश, "राजनीति-सिद्धांत की रूपरेखा" अठारहवां एवं उन्नीसवां पुनर्मुद्रण संस्करण 2019, नेशनल पैपर बैक्स।
3. मेहता, जीवन, "पाश्चात्यक राजनीतिक चिन्तन"।
4. जैन, पुखराज, एवं प्रो0 जीवन मेहता "राजनीति विज्ञान" वर्ष 2005 साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
